संख्या : — / जी0एस0(शिक्षा) / A3-55(4)/2020

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड **देहरादून दिनांक 20 सितम्बर, 2022**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 1701 / के0यू0 / मान्यता / सम्बद्धता / 2021 दिनांक 14 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा श्रीराम इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर को बी0बी0ए0 (होटल एडमिनिस्ट्रेशन) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2020–21 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1.	श्रीराम इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर	बी0बी0ए0 (होटल एडमिनिस्ट्रेशन)	60 सीट	2020–21

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

3– यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यकमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

4– संस्थान U.G.C विनियम 3.4.7 के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति के 03 के भीतर फैकल्टी की नियुक्ति कर तत्सम्बन्धी अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराना सुनिश्चित करेगा।

क्रमशः/–

5– सम्बन्धित संस्थान द्वारा छात्रों के Internships/Visit हेतु जिस बिजनेस ग्रुप/कम्पनी से MOU/ Tie-Up किया गया है। तत्सम्बन्धी अभिलेख एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित संस्थान की सम्बद्धता निरस्त कर दी जायेगी साथ ही अग्रेत्तर सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6– जब तक BBA के तकनीकी मानक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नहीं किये जाते हैं तब तक AICTE द्वारा MBA हेतु निर्धारित मानक BBA पाठ्यक्रम पर भी लागू होंगे। विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए एक माह के भीतर आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

7– अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2334 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-55(4)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, श्रीराम इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।